

२७/११७ पत्रावली पेश हुई। पुकरण में बादी  
एवं उनके अखिवक्ता अनुपस्थित। पुकरण में  
तीन बार अलग अलग समय में आवान  
लगवाई गई। उसके बावजूद अखिवक्ता  
बादी अथवा स्वयं बादी अनुपस्थित रहे।  
अतः पुकरण अदालत द्वारा अदालत पत्रों  
में खबरें लिखा जाता है।

पत्रावली फेरल शुमार हो।

Manglu  
उपखण्ड अधिकारी  
बड़गाँव, जिला-उदयपुर.

